



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रोवा जिला रोवा
मो०प्र० १



RS. 30/-

१- राजू पिता विहारीलाल गुप्ता उम्र 50 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम सुल-
ख्वां तहसील रामनगर जिला सतना मो०प्र०

R 5500 II 116

बनाम

१- कमलेश गुप्ता तनय श्री रामसुखिन्द्रगुप्ता निवासी ग्राम सुलख्वां तहसील -
रामनगर जिला सतना मो०प्र०

निगरानी वर्ता।

गैर निगोवर्ता।

विदक श्रीराजू पुराद
तला द्वारा पेशा 16.11.16

निगरानी विरुद्ध आदेश कमिश्नर म्हादेय
रोवा संभाग रोवा के प्र०क्र० 14/17/अनील/
15-16 राजू गुप्ता विरुद्ध कमलेश गुप्ता आदेश
दिनांक 20-09-2016, अन्तर्गत धारा 50
मो०प्र०भू०रा०सं०हि०ता ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निगम. 5500-II-16 जिला सतना
राजगुटता (कमलेश गुटता)

29
25

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-1-19	<p>1- प्रकाश पेश।</p> <p>2- आवेदक तथा अभिभाषक की प्रकाश करायी गयी किन्तु वह सचन उपरांत उपाखित नहीं है। आवेदक की प्रकाश व्यापारिक सफ़ पट लीखवा करायी गयी। आवेदक द्वारा प्रकाश में तलवाना नहीं किया जा रहा है।</p> <p>3- आवेदक सचन उपरांत उपाखित नहीं है अतः सचन की धारा 35(3) के तहत प्रकाश अदम वेरवी में रखा जा रहा है।</p> <p>4- अदमा की शर्त अधी. भाषा की भेजी जाके तलखनत प्रकाश पची से सफ़ा होकर दा. द. हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य,</p>	